

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 618 / 2022

दिनांक : 18.02.2022

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/2889/2021 दिनांक 16.12.2021 की निरन्तरता में श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को दिनांक 26.01.2022 से 29.01.2022 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/11/1998/1282

दिनांक 18.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 72 दिनांक 31.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II

सहायक रजिस्ट्रार